

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सूचना

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की रजिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (IT), असिस्टेंट लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी असिस्टेंट (A.G.-III) के पदों हेतु, छ.ग. व्यापम, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के अंकों के आधार पर आरक्षण तालिका अनुसार साक्षात्कार हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित किया गया है। तदानुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (IT), असिस्टेंट लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी असिस्टेंट (A.G.-III) के पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार "छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, छतौना रोड, बिलासपुर (छ.ग.)" में निम्नानुसार तिथि एवं समय पर होंगे-

क्र.	पद का नाम	दिनांक	साक्षात्कार समय
1	असिस्टेंट प्रोग्रामर	29/02/2020	प्रातः 11.00 बजे से
2	सॉफ्टवेयर इंजीनियर	29/02/2020	दोपहर 12.00 बजे से
3	हार्डवेयर इंजीनियर	29/02/2020	दोपहर 12.30 बजे से
4	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	29/02/2020	दोपहर 02.00 बजे से
5	असिस्टेंट रजिस्ट्रार (IT)	29/02/2020	दोपहर 02.30 बजे से
6	असिस्टेंट लाइब्रेरियन एवं लाइब्रेरी असिस्टेंट (A.G.-III)	29/02/2020	प्रातः 11.00 बजे से

अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के एक घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।


उक्त की सूचना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है।

पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र साक्षात्कार तिथि के एक सप्ताह पूर्व उच्च न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जावेगा। आवेदक अपना प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी के साक्षात्कार के लिये अधिकृत प्रवेश पत्र होगा। कृपया ध्यान रखें किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी माध्यम से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

उक्त साक्षात्कार तिथि को अभ्यर्थी अपने साथ समस्त शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक/अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान के संबंध में अपना आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति एवं उसकी छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर आवें।

उक्त पदों के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अनर्ह पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

विस्तृत जानकारी के लिये उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.cghighcourt.nic.in पर देखा जा सकता है।


(दीपक कुमार तिवारी)
रजिस्ट्रार (विजिलेंस)-सह-चेयरमेन, सब-कमेटी